न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 123 सन 2019

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

2. राजूराम 3 जसरथ 4 रायसिह पि फुसाराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 की कुल 4.4890हैक एवं खाता संख्या 429/555 की कुल 0.7710 हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी के पिता का नाम फुसाराम के स्थान पर नन्दराम दर्ज हो गया जबकि वादी के पिता सही नाम फुसाराम है वादी की अन्य खातों/गांवों की भूमि में वादी के पिता का नाम सही तौर से फुसाराम दर्ज है केवल मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 में गलत तौर से वादी के पिता का नाम शंकरलाल दर्ज किया गया है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सुविधाऐं जैसे अनुदान किसान क्रेडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादी के पिता का नाम फुसाराम दर्ज है अर्थात सही नाम फुसाराम है वादी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 की कुल 4.4890हैक एवं खाता संख्या 429/555 की कुल 0.7710 हैक में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम शंकरलाल के स्थान पर फुसाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 की कुल 4.4890हैक एवं खाता संख्या 429/555 की कुल 0.7710 हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी के पिता का नाम फुसाराम के स्थान पर नन्दराम दर्ज हो गया जबकि वादी के पिता सही नाम फुसाराम है वादी की अन्य खातों/गांवों की भूमि में वादी के पिता का नाम सही तौर से फुसाराम दर्ज है केवल मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 में गलत तौर से वादी के पिता का नाम शंकरलाल दर्ज किया गया है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सुविधाऐं जैसे अनुदान किसान क्रेडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादी के पिता का नाम फुसाराम दर्ज है अर्थात

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सही नाम फुसाराम है वादी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 की कुल 4.4890हैक एवं खाता संख्या 429/555 की कुल 0.7710 हैक में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम शंकरलाल के स्थान पर फुसाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 की कुल 4.4890हैक एवं खाता संख्या 429/555 की कुल 0.7710 हैक में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम शंकरलाल दर्ज है।का नाम रामप्रताप दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता का सही नाम फुसाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम शंकरलाल दर्ज किया गया है वादी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम शंकरलाल के स्थान पर फुसाराम संशोधन करवाना चाहता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि में वादी के पिता का नाम फुसाराम दर्ज है

सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र के अनुसार ादी के पिता का सही नाम फुसाराम है शंकरलाल एवं फुसाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल दर्ज हुआ है इनको में व्यक्तिगत रूप से जानता हु ।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं पेरोकार राज ने किसी प्रकार का ऐतराज नही करने पर एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 459 में दर्ज नाम के आधार पर वादी के पिता का सही नाम फुसाराम होना प्रतीत होता है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है वादी के पिता का नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 की कुल 4.4890हैक एवं खाता संख्या 429/555 की कुल 0.7710 हैक में दर्ज वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम शंकरलाल के स्थान पर फुसाराम उर्फ शंकरलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

2. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

3. राजूराम 3 जसरथ 4 रायसिह पि फुसाराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 123 सन 2020 निर्णय दिनांक– 14/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 428/452 की कुल 4.4890हैक एवं खाता संख्या 429/555 की कुल 0.7710 हैक में दर्ज वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम शंकरलाल के स्थान पर फुसाराम उर्फ शंकरलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)